



प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 132505/ 1064

कार्यालय शिक्षा विभागीय पारा, मध्यप्रदेश

स्कूल: DHAR PUBLIC SCHOOL DHAR

मान्यता का पत्र - नवीनीकरण मान्यता, नवीन मान्यता

मान्यता दिनांक - 20/04/2022

सत्र - 2022-23

प्रति,

पबंधक (DHAR PUBLIC SCHOOL DHAR)

विषय :

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के पात्रता के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अन्तर्गत स्कूल मान्यता प्रमाण पता।

भौदय / भौदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 09/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से परवातवर्ती पत्र व्यापार / नियोग के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - DHAR PUBLIC SCHOOL DHAR डाइस कोड - 23250413702 स्कूल प्रांगण - PS 1064 को कक्षा श्री पाइमरी-नर्सरी से आज्ञा तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति के अधीधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संवर्द्धक की कोई वाईयता किसी भी रूप में विद्युत नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपवध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपवध 2) के उपवधों का पात्रता करेंगा।
- स्कूल, अपने पढ़ोरी की सीमा के वंचित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दरां में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा वर्षते कि जहां स्कूल पूर्ण स्कूल (श्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपाधा (1) के छंड (क) से (ग) के उपवध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कंपनी/शिक्षण फीस क संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अधिभावक के साथ किसी छानदीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा -

- (क) आयु के सबूत के आगाम में;
- (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्यवात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
- (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।

• स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -

- किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
- किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताङ्गित नहीं किया जाएगा;
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीण करने कि आवश्यकता नहीं होगी;
- नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
- अधिनियम के उपवधों के अनुसार निःशक्तविशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
- अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि भर्ती कि जाएगी; बर्ती कि बर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आहता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आहता प्राप्त करनी होगी;
- शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के आधीन विनीरहष्ट कर्तव्यों का पात्रता करना होगा
- प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षा स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेनगे


• स्कूल समुचित प्राप्तिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यवर्ती का अनुसरण करेगा

• अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा

• स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनीरहष्ट स्कूल गो भागव एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के सुलझावार (न.प्र.) में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

जिला शिक्षा अधिकारी

निम्नानुसार पाई गई :-



Principal
Dhar Public School
Court & Indore Road, Dhar
Affiliation No. 1030728
School Code- 50691